पत्रांकः—वन भूमि—86 / 2022 431(ई) / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

<u>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक 19/06/2023

विषय :— गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935—99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935—99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव "कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—400(ई०) दिनांक—31.12.1996 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। **प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 25.65 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है।**

परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 1289 वृक्षों में से प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1126 वृक्षों को परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाया जायेग एवं 163 वृक्षों का परियोजना निर्माण के क्रम में पातन प्रस्तावित है। विषयक परियोजना के निमित वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 25.65 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 52.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को गया वन प्रमंडल के गया वन

प्रक्षेत्र के सोहेपुर PF को चिन्हित करते हुए 82,88,236/—(बेरासी लाख अठासी हजार दो सौ छतीस रूपये) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 25.65 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,45,67,057/—(दो करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार सनतावन रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 25.65 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 52.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 82,88,236/—(बैरासी लाख अठासी हजार दो सौ छत्तीस रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/— रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

ज्ञापांक :— वन भूमि—86/2022 431(डि॰)/प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक 19/06/2023

प्रतिलिपि :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/''कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

ज्ञापांक :— वन भूमि—86/2022 431(डि॰)/प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक 19/06/2023

प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

19/6/2023

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 25.65 ha. forest land for construction of Rehabilitation and up gradation of NH-120 (Gaya Bypass) Road under Gaya District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 19/6/2023

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:- अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना